रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238444
CG-DL-E-29082022-238444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3858] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
No. 3858] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4032(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, एक 'रिएक्टर' और एक 'प्रॉडक्ट पर्ज बिन' का, वाडीनार पोर्ट से नायरा एनर्जी रिफाइनरी, (सीओटी गेट), जामनगर, गुजरात, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में एक 'रिएक्टर' और एक 'प्रॉडक्ट पर्ज बिन' के परिवहन के लिए, मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएगें, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	एपी-35वी-1577	वोल्वो एचपी - 400
2	एचआर-55जी-6419	वोल्वो एचपी - 520
3	एचआर-55एच-2992	वोल्वो एचपी - 520
4	एचआर-55के-3939	वोल्वो एचपी - 520

5	एचआर-55क्यू-2470	वोल्वो एचपी - 520
6	एचआर-55क्यू-2494	वोल्वो एचपी - 520
7	जीजे-07एएन-9821	वोल्वो एचपी - 520
8	जीजे-07वाईजेड-1610	वोल्वो एचपी - 520

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:-

क्रम सं	**ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या**	**मेक**	**ट्रैलरों मे धुरियों की संख्या**	**अनुमेय सकल यान भार (टन में)**
1.	एपी-31-टीबी-6592	गोल्डहोफ़र	4	104
2.	एपी-31-टीबी-6593	गोल्डहोफ़र	4	104
3.	एपी-31-टीबी-6594	गोल्डहोफ़र	4	104
4.	एपी-31-टीबी-6595	गोल्डहोफ़र	4	104
5.	एपी-31-टीबी-6596	गोल्डहोफ़र	6	156
6.	एचआर-55-पी-6278	गोल्डहोफ़र	6	156
7.	एचआर-55पी-6279	गोल्डहोफ़र	4	104
8.	एचआर-55पी-6280	गोल्डहोफ़र	6	156
9.	एचआर-55पी-6281	गोल्डहोफ़र	4	104
10.	एचआर-55पी-6282	गोल्डहोफ़र	8	208
11.	एमएच-06-एक्यू-8551	गोल्डहोफ़र	6	156
12.	एमएच-06-एक्यू-8552	गोल्डहोफ़र	6	156
13.	एमएच-06-एक्यू-8553	गोल्डहोफ़र	4	104
14.	एमएच-06-एक्यू-8554	गोल्डहोफ़र	4	104
15.	एमएच-46-एच-0601	गोल्डहोफ़र	4	104
16.	एमएच-46-एच-0602	गोल्डहोफ़र	4	104
17.	एमएच-46-एच-0603	गोल्डहोफ़र	8	208
18.	एमएच-46-बीएम-2839	गोल्डहोफ़र	6	156
19.	एमएच-46-बीएम-2840	गोल्डहोफ़र	3	78
20.	एमएच-46-बीएम-2841	गोल्डहोफ़र	3	78
21.	एमएच-46-बीएम-2842	गोल्डहोफ़र	3	78
22.	एमएच-46-बीएम-2843	गोल्डहोफ़र	3	78
23.	एमएच-46-बीएम-2845	गोल्डहोफ़र	4	104
24.	एमएच-46-बीएम-2846	गोल्डहोफ़र	4	104
25.	एमएच-46-बीएम-2847	गोल्डहोफ़र	4	104
26.	जीजे-06एक्सएक्स-9335	गोल्डहोफ़र	6	156
27.	जीजे-06जेडजेड-6860	गोल्डहोफ़र	6	156
28.	जीजे-12बीटी-5884	गोल्डहोफ़र	6	156

29.	एचआर-55एई-2600	गोल्डहोफ़र	6	156
30.	एचआर-63-4105	गोल्डहोफ़र	4	104
31.	एचआर-634-104	गोल्डहोफ़र	4	104
32.	जीजे-06एक्सएक्स-9334	गोल्डहोफ़र	4	104
33.	एचआर-47डी-7175	गोल्डहोफ़र	4	104
34.	एचआर-47डी-3585	गोल्डहोफ़र	4	104
35.	एचआर-47डी-3558	गोल्डहोफ़र	4	104

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खेप का नाम	**खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)**	**खेप का भार**	**यान का लदान के साथ भार**	**लोड प्रति एक्सल लाइन**	**खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)**	**लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण**
रिएक्टर	196 टन	603.210 टन	799.21 टन	14.27 टन	लंबाई- 46.787 मी चौड़ाई- 10.256 मी ऊँचाई- 10.037 मी	28+28 धुरी पंक्तियां (56 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
प्रॉडक्ट पर्ज बिन	168 टन	349 टन	517 टन	10.77 टन	लंबाई- 49.90 मी चौड़ाई- 10.30 मी ऊँचाई- 10.0 मी	24+24 धुरी पंक्तियां (48 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
	196 टन	349 टन	545 टन	9.73 टन	लंबाई- 49.90 मी चौड़ाई- 10.30 मी ऊँचाई- 10.0 मी	28+28 धुरी पंक्तियां (56 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग वाडीनार पोर्ट से नायरा एनर्जी रिफाइनरी, (सीओटी गेट), जामनगर, गुजरात तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

वाडीनार पोर्ट से नायरा एनर्जी रिफाइनरी, (सीओटी गेट), जामनगर (12 किलोमीटर)।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

S.O. 4032(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of one 'Reactor' and one 'Product Purge Bin' from Vadinar Port to Nayara Energy Refinery, (COT Gate), Jamnagar, Gujarat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s PRISM logistics Private Limited is the transporter of M/s Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., for transportation of one 'Reactor' and one 'Product Purge Bin' for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	AP-35V-1577	Volvo HP-400
2	HR-55G-6419	Volvo HP-520
3	HR-55H-2992	Volvo HP-520
4	HR-55K-3939	Volvo HP-520
5	HR-55Q-2470	Volvo HP-520
6	HR-55Q-2494	Volvo HP-520
7	GJ-07AN-9821	Volvo HP-520
8	GJ-07YZ-1610	Volvo HP-520

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	AP-31-TB-6592	Goldhofer	4	104
2.	AP-31-TB-6593	Goldhofer	4	104
3.	AP-31-TB-6594	Goldhofer	4	104
4.	AP-31-TB-6595	Goldhofer	4	104
5.	AP-31-TB-6596	Goldhofer	6	156
6.	HR-55-P-6278	Goldhofer	6	156
7.	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
8.	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
9.	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
10.	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
11.	MH-06-AQ-8551	Goldhofer	6	156
12.	MH-06-AQ-8552	Goldhofer	6	156
13.	MH-06-AQ-8553	Goldhofer	4	104
14.	MH-06-AQ-8554	Goldhofer	4	104
15.	MH-46-H-0601	Goldhofer	4	104
16.	MH-46-H-0602	Goldhofer	4	104
17.	MH-46-H-0603	Goldhofer	8	208
18.	MH-46-BM-2839	Goldhofer	6	156

19.	MH-46-BM-2840	Goldhofer	3	78
20.	MH-46-BM-2841	Goldhofer	3	78
21.	MH-46-BM-2842	Goldhofer	3	78
22.	MH-46-BM-2843	Goldhofer	3	78
23.	MH-46-BM-2845	Goldhofer	4	104
24.	MH-46-BM-2846	Goldhofer	4	104
25.	MH-46-BM-2847	Goldhofer	4	104
26.	GJ-06XX-9335	Goldhofer	6	156
27.	GJ-06ZZ-6860	Goldhofer	6	156
28.	GJ-12BT-5884	Goldhofer	6	156
29.	HR-55AE-2600	Goldhofer	6	156
30.	HR-63-4105	Goldhofer	4	104
31.	HR-634-104	Goldhofer	4	104
32.	GJ-06XX-9334	Goldhofer	4	104
33.	HR-47D-7175	Goldhofer	4	104
34.	HR-47D-3585	Goldhofer	4	104
35.	HR-47D-3558	Goldhofer	4	104

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons	Weight of Consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load Per Axle line	Overall dimension of consignment (in metre) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
Reactor	196 MT	603.210 MT	799.21 MT	14.27 MT	L-46.787m W-10.256m H-10.037m	28+28 axle rows (equivalent to 56 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
Product Purge Bin	168 MT	349 MT	517 MT	10.77 MT	L-49.90m W-10.30m H-10.0m	24+24 axle rows (equivalent to 48 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
	196 MT	349 MT	545 MT	9.73 MT	L-49.90m W-10.30m H-10.0m	28+28 axle rows (equivalent to 56 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific route for transportation of the consignment will be from Vadinar Port to Nayara Energy Refinery, (COT Gate), Jamnagar, Gujarat by road through-

Vadinar Port to Nayara Energy Refinery, (COT Gate), Jamnagar (12 Kms).

ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s PRISM logistics Private Limited.

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat and Maharashtra.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/04/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.29 21:42:39 +05'30'